बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

*सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9470003023 /9431479774

महासचिव,

*सुशील कुमार

मो० 9431091417

उपाधयक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू

* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार

* अनिल कुमार

कोषाधयक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 40 दिनांक 23/5/2015

प्रेस विज्ञप्ति

ज्ञातव्य है कि सरकार के द्वारा दिनांक–12.08.2014 से प्रोन्नति समिति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति पर कोई रोक नहीं है। प्रोन्नति अवरूद्ध होने से बगैर एक भी प्रोन्नति पाये पदाधिकारी की सेवा अवधि इस प्रकार है:-

क्र० सं०	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1.	36 बैच	1992	23 वर्ष
2.	37 बैच	1993	22 वर्ष
3.	38 बैच	1995	20 वर्ष
4.	39 बैच	1996	19 वर्ष
5.	40 बैच	1997	18 वर्ष
6.	41 बैच	1999	16 वर्ष
7.	42 बैच	2000	15 वर्ष

दूसरी ओर प्रोन्नति नहीं देने से पदों की स्वीकृति बल/रिक्ति इस प्रकार है:-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	वर्त्तमान पदस्थापन	रिक्ति
1.	विशेष सचिव	24	14	10
2.	अपर सचिव	48	39	9
3.	संयुक्त सचिव	131	78	53
4.	अपर समाहर्त्ता	159	63	96
5.	उप सचिव	176	139	37
6.	मूल कोटि	313	803	

क्रमांक-1 से 5 इतने पद रिक्त रहने से हरेक स्तर पर सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा है। वही मूल कोटि में बगैर प्रोन्नति पाये स्वीकृत पद से अधिक संख्या में पदाधिकारी उपरोक्त वर्णित 25 से 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद भी एक भी प्रोन्नति प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त स्तर के पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता स्तर में कार्य कर रहे है एक जिला में न तो डी० डी० सी० है और न ही अपर समाहर्त्ता, कई जिलों में एक ही पदाधिकारी डी० डी० सी० एवं अपर समाहर्त्ता का कार्य देख रहे
।

सरकार से संघ अनुरोध करती है उपरोक्त वस्तुस्थिति की गहन समीक्षा कर प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक को हटाते हुए प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जाए।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः- निदेशक, सभी दूरदर्शन को प्रसारणार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव